ब न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 09/2020

भोला प्रसाद केशरी

—बनाम—

राज्य

तारिख	—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :—	अभियुक्ति
	आवेदक भोला प्रसाद केशरी पिता बासुदेव साव, ग्राम ताजपुर, थाना चौपारण जिला हजारीबाग ने आवेदन समर्पित किया है कि मौजा—तेतरिया, थाना—चौपारण, थाना नं0—59, जिला—हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 33, प्लॉट में प्लॉट 1474 रकबा 4 डी0 भूमि बिक्रेता मोलिमन खातुन से क्रय की गयी है, प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारीज हेतु आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था जिसके आलोक में दाखिल खारीज वाद सं0—118 R27/2020-21 द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण ने दाखिल खारीज को अस्वीकृत कर दिया। आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए दाखिल खारीज की स्वीकृत करने हेतु दाखिल खारिज अपील आवेदन दायर किया गया है। आवेदक द्वारा समर्पित अंचल अधिकारी, चौपारण के अस्वीकृति की सूचना में अस्वीकृति का कारण वर्णित है कि राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण आवेदन स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी है परन्तु शपथ पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत विक्रेता के चचेरा दादा ससुर हैं, जबकि जमाबंदी रैयत स्वयं या उनके वंशजों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर अंकित नहीं किया है। अतः उक्त विक्रय संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत नामांतरण अस्वीकृत किया जाता है। यह आदेश पूर्णतयः अपीलीय है। आवेदक के आवेदन के आलोक में विधिवत अभिलेख खोलते हुए पक्षकार को नोटिस निर्गत कर संबंधित भूमि का कागजात एवं अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया तथा अंचल अधिकारी चौपारण से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। आवेदक द्वारा एक शपथ पत्र समर्पित किया गया, जिसमें खतियानी रैयत के वारिशान रउफ मियां एवं अन्य द्वारा शपथ पूर्वक बयान दिया गया है कि विक्रेता द्वारा अपने हिस्से की बिक्री की गयी भूमि से कोई एतराज नहीं है तथा बिक्री की गयी भूमि का दाखिल खारिज किया जा सकता है। शपथ पत्र में वर्णित तथ्य के सत्यापण हेतु खातियानी रैयत के वारिशान न्यायालय में उपस्थित होकर बयान/सहमति दी गयी कि लेख्यकारी मोलिमन खातुन पति नूर आलम महरूम जाति मोमिन अंसारी साकिन मरहेडी द्वारा मौजा तेतरिया थाना सं0 59, खाता सं0 33, प्लॉट सं0 1474, रकबा 04 डी0 भूमि लेख्यधारी श्री भोला प्रसाद केशरी, पिता बासुदेव साव, ग्राम ताजपुर को बिक्री की गयी है। बिक्रेता द्वारा अपने हक—हिस्से की भूमि बिक्री की	

Scanned with CamScanner

गयी है। हमलोगों को इस भूमि के बिक्री पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है।

अंचल अधिकारी, चौपारण के पत्रांक 1044, दिनांक 11.11.2020 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें वर्णित है कि मौजा तेतरिया थाना सं0 59, खाता सं0 33, प्लॉट सं0 1474 एवं अन्य कुल रकबा 2.15 ए0 की जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं0 43/I पर इलाही मियां पिता बिगन मियां साकिन तेतरिया के नाम से जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत है। आवेदित भूमि श्री भोला प्रसाद केशरी, पिता बासुदेव साव, ग्राम ताजपुर पो0–चौपारण, थाना चौपारण जिला हजारीबाग को विक्रय कर विक्रय पत्र सं0–891, दिनांक 18.06.2020 से विक्रेता मोलिमन खातुन पति नूर आलम साकिन तेतरिया द्वारा प्राप्त कर दखलकार है। विक्रेता जमाबंदी रैयत के वंशज है। प्रश्नगत भूमि आदिवासी/बंदोबस्त/लीज भूमि/बासगीत/भूदान आदि के अन्तर्गत नहीं है।

अतएव खतियानी रैयत के वारिशानों द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सहमति पत्र तथा अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है साथ ही उक्त भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा है। अतः आवेदक भोला प्रसाद केशरी पिता बासुदेव साव, ग्राम ताजपुर, थाना चौपारण जिला हजारीबाग का दाखिल खारिज अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, चौपारण को आदेश दिया जाता है कि अविलम्ब आवेदक के नाम से प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन प्रविष्टि कर पंजी–II में जमाबंदी कायम करते हुए शुद्धि पत्र एवं सरकारी लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

Km 26/11/2020 | | Km 26/11/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

ज्ञापांक ...210.../रा0 बरही, दिनांक ...26.11.../2020

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, चौपारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Km 26/11/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

Scanned with CamScanner